न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2020 (प्रा.प. विविध)
GCMS NO: 2020/00011

अनवान

1. श्री लालूराम पिता श्री मेगजी डांगी, निवासी–जालमपुरा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती रम्बा पत्नी श्री लालूराम डांगी, निवासी–जालमपुरा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सेमारी, जिला उदयपुर।

– विपक्षी

उपस्थित

1. श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65(2), राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व 141 सिविल प्रक्रिया संहिता

* निर्णय *

दिनांक 23-10-2020

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मामले में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65(2), राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व 141 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर अनुरोध किया कि विपक्षी तहसीलदार सेमारी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के तहत आंवटन निरस्त कराने हेतु दिनांक 03.01.2017 को पेश किया, जिसे 11.01.2017 को प्रकरण संख्या 02/2017 के रूप मे दर्ज किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए स्वीकार किया गया और प्रार्थीगण के पक्ष मे किये गये आंवटन को खारिज किया गया। उक्त प्रकरण का नोटिस दिनांक 02.03.2017 को प्राप्त हुआ, जिसे लेकर प्रार्थीगण का पुत्र गोतम लाल पटेल उदयपुर आया एवं उसी के द्वारा अधिवक्ता नियुक्त कर कार्यवाही की जा रही थी। प्रार्थीगण के पुत्र का दिनांक 27.12.2018 को अचानक निधन हो जाने से इसकी सूचना प्रार्थीगण के अधिवक्ता को नही थी। बड़ी मुश्किल से उदयपुर न्यायालय ने अधिवक्ता के बारे मे जानकारी प्राप्त करने पर दिनांक 06.08.2020 को यह जानकारी प्राप्त हुई उक्त आंवटन दिनांक 26.04.2019 को निरस्त हो चुका है। अतः न्यायहित मे प्रार्थीगण को सुनवाई का एक अवसर दिया जाना न्यायोचित है। एक पक्षीय निर्णय के पूर्व प्रार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय मे जानबूझकर अनुपस्थित नही रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एक पक्षीय निर्णय दिनांक 26.04.2019 को अपास्त किया जावे तथा मूल प्रकरण 02/2017 मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.10.28 11:25:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तहसीलदार सेमारी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत कराने का अवसर दिया गया। राजकीय पक्ष की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा पृथक से जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस हेतु अनुरोध करने पर प्रकरण में उभय पक्ष में अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

बहस प्रारम्भ करते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थीगण के पुत्र का निधन हो जाना, सारी जानकारी प्रार्थीगण के पुत्र को होना आदि आधारों पर प्रकरण संख्या 02/2017 प्रार्थीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर देने एवं एक पक्षीय निर्णय दिनांक 26.04.2019 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः—

- आर.आर.टी. 2008(1) पृष्ठ 610
- आर.आर.डी. 1995 पृष्ठ 576
- आर.आर.डी. 1991 पृष्ठ 218
- आर.आर.डी. 1999 पृष्ठ 238
- आर.आर.टी. 2013(2) पृष्ठ 878
- आर.आर.डी. 1996 पृष्ठ 425
- आर.आर.टी. 2018(1) पृष्ठ 601

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थीगण के उक्त प्रकरण मे समस्त कार्यवाही करने का दायित्व प्रार्थीगण के पुत्र का दिया गया हो। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण संख्या 02/2017 मेरिट पर तय किया गया है, जो नियमानुसार है। ऐसी स्थिति मे निर्णय दिनांक 26.04.2019 को अपास्त करने का कोई ओचित्य न होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण के पुत्र के मृत्यु प्रमाण पत्र इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2017 के पारित निर्णय आदि का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से मनन किया। तहसीलदार सेमारी द्वारा लालुराम पिता मेगजी डांगी एवं उनकी पत्नि रम्बा डांगी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर प्रकरण संख्या 02/2017 मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2019 को एक पक्षीय बहस सुन कर नियमानुसार आदेश पारित किया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय को अपास्त कर पुनः सुनवाई का अवसर देने हेतु अनुरोध किया है, किन्तु उक्त प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामले मे प्रकरण वर्ष 2017 मे दायर हुआ है एवं जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद आंवटियो द्वारा जवाब प्रस्तुत न करने से प्रकरण मे जवाब बन्द कर राजकीय पक्ष की एक तरफा बहस सुनी गई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुत्र के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के आधार पर यह कथन सही माना जा सकता है कि उनके पुत्र का दिनांक 27.12.2018 को निधन हुआ हो, किन्तु पूर्व मे इस

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.10.28 11:25:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय के प्रकरण संख्या 02/2017 मे किसी भी कार्यवाही के लिए उक्त मृतक पुत्र को प्रार्थीगण द्वारा अधिकृत किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नही है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण मे चस्पा नही होते है। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2017 पारित निर्णय दिनांक 26.04.2019 को अपास्त करना न्यायोचित नही पाया जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 65(2), राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व 141 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.10.28 11:25:02 IST
Reason: SelfAttested